

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार

वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक—

विषय :— सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 90,00,00,000.00 (नब्बे करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में कुल रु० 36,83,00,000/—(छत्तीस करोड़ तेरासी लाख रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने दिनांक—07.07.2025 को संपन्न लोक वित्त समिति के बैठक में किये गये अनुशंसा के आधार पर दिनांक—15.07.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या—11 के अन्तर्गत सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 90,00,00,000.00 (नब्बे करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल स्वीकृत राशि रु० 90,00,00,000.00 (नब्बे करोड़ रुपये) मात्र के विरुद्ध प्रथम किस्त में कुल रु० 36,83,00,000/—(छत्तीस करोड़ तेरासी लाख रुपये) मात्र निम्नवत् रूप से विमुक्त किया जाता है:—

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	संस्थानों के नाम	52 02— मशीन एवं उपस्कर—अन्य	
		कुल स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त में विमुक्त राशि
1	मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर	3,00,00,000.00	96,96,000.00
2	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	2,80,00,000.00	96,92,000.00
3	नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजी, चण्डी (नालन्दा)	2,80,00,000.00	96,92,000.00
4	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सिवान	2,80,00,000.00	96,92,000.00
5	भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर	2,55,00,000.00	96,92,000.00
6	दरभंगा, अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा	2,55,00,000.00	96,92,000.00
7	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम	2,55,00,000.00	96,92,000.00

क्र० सं०	संस्थानों के नाम	52 02— मशीन एवं उपस्कर—अन्य	
		कुल स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त में विमुक्त राशि
8	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार	2,55,00,000.00	96,92,000.00
9	बी०पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा	2,55,00,000.00	96,92,000.00
10	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ	2,55,00,000.00	96,92,000.00
11	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा	2,55,00,000.00	96,92,000.00
12	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल	2,55,00,000.00	96,92,000.00
13	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	2,45,00,000.00	96,92,000.00
14	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	2,45,00,000.00	96,92,000.00
15	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा	2,45,00,000.00	96,92,000.00
16	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय	2,45,00,000.00	96,92,000.00
17	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी	2,20,00,000.00	96,92,000.00
18	लोकनायक जय प्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा	2,20,00,000.00	96,92,000.00
19	सीतामढ़ी इस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी	2,20,00,000.00	96,92,000.00
20	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय	2,20,00,000.00	96,92,000.00
21	बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
22	सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा	2,20,00,000.00	96,92,000.00
23	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बौका	2,20,00,000.00	96,92,000.00
24	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली	2,20,00,000.00	96,92,000.00
25	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चंपारण	2,20,00,000.00	96,92,000.00
26	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
27	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद	2,20,00,000.00	96,92,000.00
28	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज	2,20,00,000.00	96,92,000.00
29	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
30	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज	2,20,00,000.00	96,92,000.00
31	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
32	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद	2,20,00,000.00	96,92,000.00

क्र० सं०	संस्थानों के नाम	52 02— मशीन एवं उपस्कर—अन्य	
		कुल स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त में विमुक्त राशि
33	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी	2,20,00,000.00	96,92,000.00
34	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया	2,20,00,000.00	96,92,000.00
35	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर)	2,20,00,000.00	96,92,000.00
36	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
37	श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया	2,20,00,000.00	96,92,000.00
38	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर	2,20,00,000.00	96,92,000.00
कुल योग :-		90,00,00,000.00	36,83,00,000.00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-43 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष -105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष -0106- अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) के अधीन **52 02-मशीनें एवं उपस्कर-अन्य** विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका **विपत्र कोड-43-4202021050106** है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला समाहरणालय कोषागार से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों का क्रय GEM पोर्टल से किया जाएगा। GEM पोर्टल पर सामग्रियों की अनुपलब्धता की स्थिति में बिहार वित्त (संशोधन) नियम, 2024 के आलोक में सामग्रियों की खरीदारी की जाएगी तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय किये जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्करों की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जायेगी।

7. सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि संस्थान के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला के निम्न प्राथमिकता के आधार पर मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय किया जाय :-

- वैसे कर्मशाला एवं प्रयोगशाला जो अधिष्ठापित नहीं है।
- वैसे कर्मशाला एवं प्रयोगशाला जो आंशिक रूप से अधिष्ठापित है।
- वैसे कर्मशाला एवं प्रयोगशाला जिसे Upgradation की आवश्यकता है।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक-15.07.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-11 पर निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना-24/2025 के पृ०-16/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) यो.-24/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) यो.-24/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.07.2025 को मद संख्या-11 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) यो.-24/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – सभी जिला समाहरणालय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) यो.-24/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

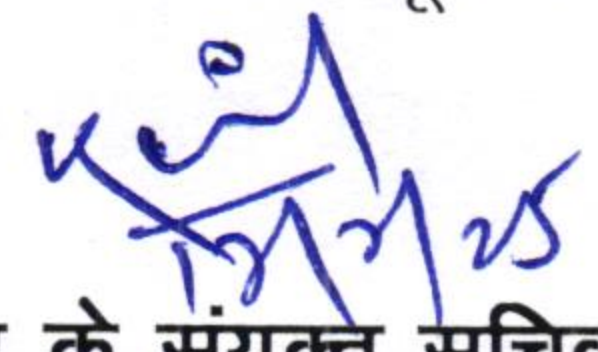
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) यो.-24/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव